

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 जनवरी 2012—पौष 17, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2012

क्र. एफ-ए-03-14-2010-1-पांच (01).—मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 8 के उपनियम (1-ग) के, खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह उपबंध करती है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, जो इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्ररूप ग प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, प्ररूप ग में सम्यक् रूप से भरी हुई घोषणा इलेक्ट्रॉनिक रीति में विभाग की अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार जारी की जाएगी।

2. यह अधिसूचना 9 जनवरी, 2012 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2012

क्र. एफ-ए-03-14-2010-1-पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-14-2010-1-पांच (01) दिनांक 7 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव।

Bhopal, the 7th January 2012

No. F-3-14-2010-1-V (01).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (1-C) of rule 8 of the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, the State Government, hereby, provides that a registered dealer who makes an application to receive Form C electronically, shall be issued Form C duly filled electronically through the official web portal of the Department in accordance with the instructions given in the web portal.

2. This notification shall come into force from 9th January, 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.